

जानकारी हेतु-

For your kind information

Settlement of outdoor claims- CGHS रेट की पावंदी नहीं

No bsnl/admn.l/15-9(5)/15 pt.l ||| date 5.11.15

इस पत्र में दिये निर्देशानुसार हर कर्मी की वार्षिक लिमिट होती है अतः इन बिलो को cghs रेट की पावंदी न लगाई जाये। जैसे मानलो आँख में लेंस लगवाने में आपको 12000 रूपये लगे, और cghs रेट 8000 है तो आपको 12000 रूपये ही मिलेंगे। कोई डॉक्टर 200 फीस लेता है कोई 1000 लेता है जो भी ले आपको उसका भुगतान होगा। आप अपनी वार्षिक लिमिट में ही भुगतान लेंगे। लिमिट के अंदर दूसरी cghs की लिमिट वाजिब नहीं है।

~KS THAKUR

ACS & DS

NFTE BHOPAL MP

10.3.16